निगरानी-1198-PBR-15

निगरानी प्र.क्रं. /........

प्रस्तुति दिनांक 13/05/2015

माननीय न्यायालय : राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प इन्दौर

(129)

सन्मान कोल्ड स्टोरेज एंड फुड्स प्रा.लि.
तर्फे चेयरमेन एव मेनेजिंग डायरेक्टर
डॉ. लीलाधर पालीवाल
निवासी – 6, कानूनगो बाखल, इन्दौर -- प्रार्थी

विरूद्ध

1. ब्राईट कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
पता – 112–ए, बंशी ट्रेड सेंटर,
आर.एस. भंडारी मार्ग, इन्दौर म.प्र.
2. दि जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि.
शाखा कार्यालय डायमण्ड ट्रेड सेंटर
न्यू पलासिया, इन्दौर म.प्र. -- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कस्बा इन्दौर (श्री कसेरा) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 81/अपील/12–13 में दिनांक 23.03.2015 को धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर पारित किये गये आदेश से असंतुष्ट एंव दुःखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार सादर प्रस्तुत करता है :–

श्री रुचित पाराशर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13.5.15 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रं. 1 ब्राईट कोल्ड स्टोरेज की ओर से तहसीलदार महोदय के न्यायालय में ग्राम लसुड़िया मोरी तहसील व जिला इन्दौर स्थित सर्वे क्रमांक 27/4 रकबा 0.558 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 27/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 27/1 रकबा 0.530 हेक्टेयर एवं सर्वे

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1198-पीबीआर/2015 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	